न्यायालय - उप जिलाधिकारी (न्यायिक) लालगंज, आजमगढ़
मु०नं०- T202115060402267, धारा - 80

रामसती	ग्रा०- कोटाबुर्जुग, पर० - देवगांव
बनाम	तह०- लालगंज, आजमगढ़
श्रीनाथ	

न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) लालगंज, आजमगढ़

नोट :- फोलियो के साथ नकल आदेश दि० - 25/06/22 संलग्न है।

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी,न्यायिक
मण्डल :आजमगढ़,जनपद :आजमगढ़,तहसील :लालगंज
वाद संख्या :-2267/2021
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202115060402267
प्रबंधक पंचदेव आर्या रामरत्ती देवी सुरजू सिंह शिक्षण संस्थान ककोटाबुजुर्ग लालगंज बनाम श्रीनाथ अआदि
अंतर्गत धारा:-80 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006

प्रस्तुत वाद अजनी कुमार पुत्र स्व0 सुरजू ग्राम ताहिरपुर परगना देवगांव तहसील लालगंज जिला आजमगढ प्रबंधक आर्या रामरती देवी सुरजू सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कोटाबुजुर्ग लालगंज आजमगढ ने इस आशय से दाखिल किया है कि ग्राम कोटाबुजुर्ग की आराजी नंबर 403 रकबा 0.4810हे0 में से 360.75 एआर विद्यालय भवन शेष रकबा में बाउण्डरी शौचालय खेल कूद का मैदान आदि कायम है इसमे कृषि कार्य नहीं होता है अंत में आराजी नेजाई अकृषिक भूमि दर्ज करके लगान माफ करने का निवेदन किया गया है। वादी द्वारा वाद के समर्थन में नकल खतौनी नकल खसरा 1427 फ सहखातेदार श्रीनाथ पुत्र सुखई का अनापत्ति शपथ पत्र दस्तावेज बैनामा दिनांक 10.12. 2012 की छाया प्रति अंजनी कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत नोटरी शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। वाद पंजीकृत कर तहसील से जांच आख्या मांगी गयी । तहसीलदार लालगंज द्वारा सहखातेदार श्रीनाथ द्वारा दिये गये शपथ पत्र को संदेहास्पद बताते हुए अपनी जांच आख्या 02.07.2021 प्रस्तुत किया गया जिसके विरूद्ध अंजनी कुमार सिंह प्रबंधक आर्या रामरती देवी सुरजू सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कोटाबुजुर्ग लालगंज आजमगढ द्वारा दिनांक 06.07.2021 को आपत्ति प्रस्तुत हुई। दिनांक 03.07.2021 को पंचदेव सिंह की ओर से आपत्ति दाखिल की गयी तथा दिनांक 30.05.2022 को आपत्तिकर्ता पंचदेव सिंह ने नोटरी शपथ से समर्थित प्रार्थना पत्र देकर अपनी आपत्ति वापस ले लिया है वाद निर्विवाद हो चुका है। वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा मेरे द्वारा स्वयं स्थल निरीक्षण किया गया मौके पर वाद भूमि में संस्थान का भवन खेलकूद मैदान बाउण्डरीवाल लैटिन बाथरूम आदि बना पाया गया वाद भूमि में कृषि संबंधित कार्य होना नहीं पाया गया । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विधिवत परीक्षण व परिशीलन किया गया । वादी द्वारा जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित स्टैम्प दर वाद भूमि का मूल्यंकित धनराशि का 1 प्रतिशत मु0 19130.00 रूपये के सापेक्ष 19135.00 रूपये का ट्रेजरी चालान सं0 एफ ई 00009 दिनांक 14.06.2022 व न्यायशुल्क मु0 19130.00 रूपये का ई स्टैम्प सं0 क्यू टी 0006619188 अदा किया गया है। वाद निर्विवाद है आराजी नेजाई मौके पर अकृषिक है उसे अकृषिक भूमि दर्ज किए जाने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम कोटाबुजुर्ग परगना देवगांव तह0 लालगंज आजमगढ की आराजी नंबर 403 रकबा 0.4810 हे0 में से 0.3607 हे0 जो आर्या रामरती देवी सुरजू सिंह शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कोटाबुजुर्ग लालगंज आजमगढ द्वारा प्रबंधक अजनी कुमार पुत्र स्व0 सुरजू ग्राम ताहिरपुर के नाम से सह संक्रमणीय भूमिधरी दर्ज है को अकृषिक भूमि घोषित करके लगान माफ किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो बाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक

24.6.22

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
लालगंज –आजमगढ़

आज दिनांक 24.6.22 को उपरोक्त निर्णय व आदेश मेरे द्वारा उदघोषित व हस्ताक्षरित किया गया ।

उपजिलाधिकारी (न्यायिक)
लालगंज –आजमगढ़

पृष्ठ संख्या :

TRUE COPY
READER
15-7-22

Advocate
24/6/22

उपजिलाधिकारी (न्यायिक) लालगंज, आजमगढ़